



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276

ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: [www.nsez.gov.in](http://www.nsez.gov.in)

फा०सं०.10/07/2022-SEZ/

1197  
02/01/2025

दिनांक: 07/01/2025

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा में,

1. निदेशक(एस०ई०जेड०), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
3. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, नियर आईजीआई एअरपोर्ट, नई दिल्ली - 110037।
4. आयुक्त, आयकर, एचएसआईआईडीसी बिल्डिंग, 4<sup>th</sup> फ्लोर, उद्योग विहार, फेज-5, गुडगांव (हरियाणा)।
5. आयुक्त, आयकर, सेन्ट्रल सर्कल- II, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, एनएच 4, फरीदाबाद, (हरियाणा)।
6. निदेशक, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार, 30 बेज़ भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़।
8. प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्लॉट नं सी -13 व 14, सेक्टर 6 पंचकूला, (हरियाणा)।
9. सीनियर टाउन प्लानर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (एच क्यू), एस सी ओ :71-75, सेक्टर 17C, चंडीगढ़।
10. संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, प्लॉट नं 2, आई डी सी, गुडगांव (हरियाणा)।
11. संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, नीलम चौक, फरीदाबाद (हरियाणा)।
12. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 02/01/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 02.01.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

भवदीय,  
24/01/25  
(गया प्रसाद)  
उप विकास आयुक्त

### नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 02.01.2025 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
  2. श्री ध्रुव शर्मा, आईआरएस, सीमा शुल्क, गुरुग्राम
  3. श्री अशोक कुमार, उद्योग विभाग, गुरुग्राम।
  3. सुश्री हेमलता हेंडाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
- इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, ii) श्री जैनेन्द्र जैन, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त (ADC) और iv) श्री सुनील गुलियानी, स्टेनोग्राफर/डीलिंग हेंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है, और बैठक आगे बढ़ सकती है।
  - प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / विकासक / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

#### **1. दिनांक 05.12.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-**

क्योंकि 05.12.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 05.12.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की भी पुष्टि की गई।

**मद संख्या 2: इकाई परिसर में 'कैफेटेरिया, चिकित्सा कक्ष और मनोरंजन कक्ष' स्थापित करने का प्रस्ताव:-**

#### **2.1: मेसर्स ईयूआई लिमिटेड (इकाई-1)।**

2.1.1 मेसर्स ईयूआई लिमिटेड की अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री दिविशा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्वीकृत सुविधाओं को ऐसी सुविधाओं के लिए पहले से स्वीकृत क्षेत्र के स्थान पर संशोधित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा।

2.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), गांव झंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम

सुरेंद्र मलिक



(हरियाणा) में स्थित इकाई के परिसर के भीतर मौजूदा सुविधाओं के स्थानांतरण के लिए मेसर्स ईयूआई लिमिटेड (इकाई-I) के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

सुविधाएं	पिछला स्वीकृत क्षेत्र और स्थान	संशोधित क्षेत्र और स्थान
कैफेटेरिया जिसमें टक शॉप और रसोई क्षेत्र शामिल है।	5वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6 पर 1153.04 वर्ग फीट।	5वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6 पर 5064.20 वर्ग फीट।
चिकित्सा कक्ष	5वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6 पर 98.20 वर्ग फीट।	5वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6 पर 119.47 वर्ग फीट।
मनोरंजन कक्ष	5वीं मंजिल पर 970.88 वर्ग फीट, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6	5वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6 पर 460.48 वर्ग फीट।

2.1.3. यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 और उसके बाद दिनांक 03.10.2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार है। अनुमोदन वैधानिक अनुपालन के अधीन है और इस शर्त के साथ कि न तो इकाई और न ही उसके विक्रेता (विक्रेता) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम / विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे, ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए, इकाई द्वारा विकासक को भुगतान किए गए पट्टे / अन्य शुल्क पर शून्य रेटिंग के लाभों को छोड़कर। इकाई को संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) / मंजूरी / अनुमोदन जैसे कि अग्नि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करना होगा, यदि लागू हो, जैसा कि निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सत्यापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इकाई के परिसर में उपरोक्त सुविधाओं में वैधानिक अनुपालन पूरा हो रहा है। समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित मेसर्स ईयूआई लिमिटेड (इकाई-II) के साथ उपरोक्त सुविधाओं को साझा करने की भी अनुमति दी।

## 2.2: मेसर्स ईयूआई लिमिटेड (इकाई-II)

2.2.1. मेसर्स ईयूआई लिमिटेड (इकाई-I) की अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री दिविशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सुविधाओं को ऐसी सुविधाओं के लिए पहले से स्वीकृत क्षेत्र के स्थान पर संशोधित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा।

2.2.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स ईयूआई लिमिटेड (इकाई-II) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें मौजूदा सुविधाओं को गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), गांव डूंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित इकाई के परिसर के भीतर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

सुविधाएं	पिछला स्वीकृत क्षेत्र और स्थान	संशोधित क्षेत्र और स्थान
----------	--------------------------------	--------------------------

**सुरेंद्र मलिक**

कैफेटेरिया जिसमें टक शॉप और रसोई क्षेत्र शामिल है।	4वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6 पर 1604.63 वर्ग फीट।	शून्य
मनोरंजन कक्ष	696.18 वर्ग फीट, चौथी मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं.6	562.30 वर्ग फीट, चौथी मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं. 6
	-	1312.76 वर्ग फीट, 6वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नं.6
<b>कुल:</b>	<b>2300.81 वर्ग फीट</b>	<b>1875.06 वर्ग फीट</b>

2.2.3. यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 और उसके बाद दिनांक 03.10.2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार है। यह अनुमोदन वैधानिक अनुपालन के अधीन है और इस शर्त के साथ कि न तो इकाई और न ही उसके विक्रेता (विक्रेता) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे, ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए, इकाई द्वारा विकासक को भुगतान किए गए पट्टे/अन्य शुल्कों पर शून्य रेटिंग के लाभों को छोड़कर। इकाई को संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/मंजूरी/अनुमोदन जैसे कि अग्नि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करना होगा, यदि लागू हो, जैसा कि निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सत्यापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इकाई के परिसर में उपरोक्त सुविधाओं में वैधानिक अनुपालन पूरा किया जा रहा है।

### **मद संख्या 3: कंपनी के नाम में परिवर्तन और निदेशकों में परिवर्तन की सूचना:**

#### **3.1: मेसर्स इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी कोटिगंट प्राइवेट लिमिटेड।**

3.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद कंपनी का नाम 'इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी कोटिगंट प्राइवेट लिमिटेड' से बदलकर 'आईटीक्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' करने और कंपनी के निदेशकों में हुए बदलावों पर गौर किया। यह गुरुग्राम (हरियाणा) के सेक्टर-48 के टिकरी गांव में कैंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है। इसके अलावा, यह वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार है, और इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है:-

यू.ए.सी. द्वारा दिनांक 07.10.2024 को आयोजित बैठक में लिए गए नोट के अनुसार निदेशकों की सूची	वर्तमान निदेशकों की सूची
1. श्री अनिल पाराशर 2. श्री लियोनार्ड ली किम 3. श्री अधेराज सिंह 4. श्री पंकज मदान	1. श्री अनिल पाराशर 2. श्री लियोनार्ड ली किम 3. श्री अधेराज सिंह 4. श्री विपुल दोशी

**सुरेंद्र मलिक**



यू.ए.सी. द्वारा दिनांक 07.10.2024 को आयोजित बैठक में लिए गए नोट के अनुसार निदेशकों की सूची	वर्तमान निदेशकों की सूची
5. श्री कंवल जीत सिंह बख्शी	5. श्री अनूप तिवारी

3.1.3. यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है:-

i. इकाई को श्री पंकज मदान और श्री कंवल जीत सिंह बख्शी की सेवा समाप्ति के लिए डीआईआर-11/12 की प्रतियां और श्री विपुल दोशी और श्री अनूप तिवारी की नियुक्ति के लिए डीआईआर-11/12 की प्रतियों के साथ-साथ उनके पासपोर्ट/आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रतियां जमा करनी होंगी।

ii. इकाई ने कंपनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री पल्लवित गर्ग के पक्ष में दिनांक 15.12.2023 के बोर्ड संकल्प की प्रति जमा की है। हालाँकि, उक्त बोर्ड संकल्प में कंपनी का नाम आईटीक्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बताया गया है, जबकि कंपनी ने 15.11.2024 को नाम बदल दिया है। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

#### मद संख्या 4: निदेशकों/भागीदारों में परिवर्तन की सूचना:

##### 4.1: मेसर्स वेको बाइनरी सिमेंटिक्स एलएलपी।

4.1.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एलएलपी के भागीदारों के परिवर्तन और मेसर्स वेको बाइनरी सिमेंटिक्स एलएलपी के शेयरधारिता स्वरूप (पूँजी योगदान) में परिवर्तन पर ध्यान दिया। यह गुरुग्राम (हरियाणा) के सेक्टर-21, झंडाहेड़ा गांव में गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है। इसके अलावा, यह वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार है, और इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है:-

##### • साझेदारों/नामित साझेदारों में परिवर्तन:

पिछले भागीदार / नामित भागीदार	वर्तमान भागीदार / नामित भागीदार
1. वेको होल्डिंग्स एलएलसी, यूएसए (नामित भागीदार: लिसा वीवर)	1. वेको होल्डिंग्स एलएलसी, यूएसए (नामित भागीदार: लिसा वीवर)
2. बाइनरी सिमेंटिक्स लिमिटेड (नामित भागीदार: आशिमा चौधरी)	2. ज़ैस इनोवेशन एलएलपी. (नामित भागीदार: आशिमा चौधरी)
3. अखिल चौधरी	3. अखिल चौधरी

##### • शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन (पूँजी योगदान):

पिछला शेयरधारिता स्वरूप (साझेदार का पूँजी योगदान):-

*सुरेंद्र मलिक*

A	साझेदार का नाम	पूंजी अंशदान (मूल्य रु. में)	% पूंजी अंशदान
	1. वेको होल्डिंग्स एलएलसी, यूएसए	60,00,000/-	60.00%
	2. बाइनरी सेमेंटिक्स लिमिटेड	39,99,000/-	39.99%
	3. अखिल चौधरी	1000/-	0.01%
	<b>कुल:</b>	<b>1,00,00,000/-</b>	<b>100.00%</b>
<b>B</b>	<b>साझेदार चालू पूंजी खाता</b>		
	वैको होल्डिंग्स एलएलसी	1,00,60,350/-	

संशोधित शेयरधारिता स्वरूप (साझेदार का पूंजी योगदान):-

A	साझेदार का नाम	पूंजी अंशदान (मूल्य रु. में)	% पूंजी अंशदान
	वेको होल्डिंग्स एलएलसी, यूएसए	60,00,000/-	60.00%
	जैस इनोवेशन एलएलपी	39,99,000/-	39.99%
	अखिल चौधरी	1000/-	0.01%
	<b>कुल:</b>	<b>1,00,00,000/-</b>	<b>100.00%</b>
<b>B</b>	<b>साझेदार चालू पूंजी खाता</b>		
	वैको होल्डिंग्स एलएलसी	1,00,60,350/-	

#### 4.2: मेसर्स मारेली (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।

4.2.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स मारेली (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में हुए बदलावों पर ध्यान दिया। यह गुरुग्राम (हरियाणा) के सेक्टर-48 के टिकरी गांव में कैंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है। इसके अलावा, यह वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार है, और इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है:-

पूर्व निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री साजू मुक्केन	1. श्री साजू मुक्केन
2. श्री एंड्रिया गूजो	2. श्री एंड्रिया गूजो
3. श्री सुधीर असनानी	3. श्री सुधीर असनानी
	4. श्री रवि वेंकट सत्य तल्लाप्रगदा

सुरेंद्र मलिक



## मद संख्या 5: सामान्य बीमा से संबंधित सेवा चालानों का अनुमोदन:-

### 5.1. मेसर्स सीवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

5.1.1. मेसर्स सीवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विक्रान्त तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और मामले को समझाया। निर्दिष्ट अधिकारी ने भी मामले को विस्तार से समझाया।

5.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित पर निर्णय लिया:-

i. पॉलिसी संख्या 41087278 - व्यापक सामान्य देयता: यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के परिसर के सामान्य बीमा से संबंधित है, इसलिए, यह 67 इनपुट सेवाओं की डिफॉल्ट सूची में उपलब्ध 'सामान्य बीमा व्यवसाय सेवाओं' के अंतर्गत कवर की जाएगी।

ii. पॉलिसी संख्या 47C65523 - उद्योग रक्षक बीमा पॉलिसी (लघु उद्यम): यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई की परिसंपत्तियों और संपत्ति के सामान्य बीमा से संबंधित है, इसलिए, यह 67 इनपुट सेवाओं की डिफॉल्ट सूची में उपलब्ध 'सामान्य बीमा व्यवसाय सेवाओं' के अंतर्गत कवर की जाएगी।

iii. पॉलिसी संख्या 43319606 - श्रमिक मुआवजा पॉलिसी: समिति ने पाया कि श्रमिक मुआवजा पॉलिसी किसी भी कंपनी के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि, जबकि इसका लक्ष्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) संचालन से संबंधित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण मुआवजा प्रदान करना है, इस बीमा के तहत वास्तविक लाभार्थी कर्मचारी होगा। इसलिए, समिति ने मामले को आगे के मार्गदर्शन के लिए वाणिज्य विभाग (DOC) को संदर्भित करने का निर्णय लिया।

## मद संख्या 6: इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) में अनुमोदित विनिर्माण वस्तुओं के संबंध में वाणिज्य विभाग (DOC) से प्राप्त स्पष्टीकरण:-

### 6.1. मेसर्स डेफसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।

6.1.1. मेसर्स डेफसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री समर भार्गव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और मामले को समझाया। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई से रक्षा अनुप्रयोग के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेंबली सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। हालांकि, वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी दिनांक 17.12.2015 के पत्र संख्या 13/9-आईएल/2015-ईओयू के अनुसार, उन्हें सूचित किया गया था कि रक्षा अनुप्रयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेंबलियों सहित वस्तुओं के विनिर्माण के उनके प्रस्ताव पर रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, रक्षा उत्पादन विभाग की स्थायी समिति द्वारा

सुरेंद्र मालिक

विचार किया गया था, और समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि विनिर्माण की इच्छित वस्तुएं (जिसमें रक्षा अनुप्रयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेंबलियां शामिल थीं) रक्षा के दृष्टिकोण से लाइसेंस योग्य नहीं थीं और इसके लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई से 'रक्षा अनुप्रयोग के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम और इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम' सहित विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने की मांग करते हुए एक और आवेदन दायर किया था। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग के दिनांक 01.02.2017 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए वाणिज्य विभाग (DOC) ने दिनांक 16.11.2027 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बॉक्स, असेंबली और परीक्षण तथा इलेक्ट्रो मैकेनिकल असेंबली रक्षा की दृष्टि से गैर-लाइसेंस योग्य हैं, इसलिए इनके निर्माण के लिए आईएल की आवश्यकता नहीं है। अब वाणिज्य विभाग (DOC) ने दिनांक 30.10.2024 के पत्र के माध्यम से कहा है कि 'इलेक्ट्रॉनिक कैमरा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेंबली आई(डीएंडआर) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस योग्य हैं और इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम' विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किए गए आई(डीएंडआर) अधिनियम, 1951 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत निर्माण की विशिष्ट वस्तुओं के आधार पर लाइसेंस योग्य हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में वे प्रत्येक खरीद आदेश के संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)' प्राप्त कर रहे हैं।

6.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद वाणिज्य विभाग (DOC) के दिनांक 17.12.2015 और 16.11.2017 के पूर्व पत्र तथा दिनांक 30.10.2024 के पत्र को वाणिज्य विभाग (DOC) को मामले में आवश्यक स्पष्टीकरण के अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निर्देश दिया।

#### **मद संख्या 7: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के निष्पादन की निगरानी:-**

##### **7.1 मेसर्स मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।**

7.1.1. मेसर्स मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम (हरियाणा) के ग्वाल पहाड़ी गांव में एएसएफ इनसिग्निया विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में सेवा गतिविधियों यानी "आईटी/आईटीईएस अर्थात बैंक ऑफिस परिचालन, डेटा प्रसंस्करण" के लिए इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/08/2015-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/5211 दिनांक 27.05.2015 प्रदान की गई थी। इकाई ने 30.10.2015 से परिचालन शुरू कर दिया था। इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया है। इकाई ने सूचित किया है कि उन्होंने 01.12.2024 से अपना परिचालन बंद कर दिया है।

7.1.2. सीए फर्म, एनएसईजेड द्वारा विधिवत सत्यापित एपीआर के अनुसार इकाई का प्रदर्शन निम्नानुसार है:-

##### **5 वर्षों के पहले ब्लॉक के लिए:**

*सुरेंद्र मलिक*



(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	निर्यात	1296.26	6087.64	8173.74	9146.69	11823.69	36528.02
2	विदेशी मुद्रा व्यय	85.73	149.69	154.56	160.46	171.91	722.35
3	एनएफई आय (1 - 2)	1210.53	5937.95	8019.18	8986.23	11651.78	35805.67
4	विदेशी मुद्रा की लंबित प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**5 वर्ष के दूसरे ब्लॉक के लिए:**

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	निर्यात	5618.49	16504.69	19017.51	17698.43	15803.83	74642.95
2	विदेशी मुद्रा व्यय	205.78	206.03	209.97	209.97	209.97	1041.72
3	एनएफई आय (1 - 2)	5412.71	16298.66	18807.54	17488.46	15593.86	73601.23
4	विदेशी मुद्रा की लंबित प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.3. मेसर्स मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री मनोज गुप्ता और सहायक निदेशक श्री सोनेंद्र जैन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और मामले को समझाया।

7.1.4. अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई पर ध्यान दिया।

**मद संख्या 8: नई इकाई की स्थापना के लिए प्रस्ताव:****8.1: मेसर्स इजराइल एयरोस्पेस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।**

8.1.1. मेसर्स इजराइल एयरोस्पेस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री के. विजय सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

8.1.2. अनुमोदन समिति ने शस्त्र प्रभाग, गृह मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय की टिप्पणियों के आलोक में प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की, जो वाणिज्य विभाग (DOC) के पत्र संख्या के-43022/118/2023-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) दिनांक 23.12.2024 के माध्यम से प्राप्त हुई। समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स इजराइल एयरोस्पेस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत गुरुग्राम (हरियाणा) के गांव बेहरामपुर में मिकाडो रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड

*सुरेंद्र मलिक*

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में सेवा गतिविधियों अर्थात् 'सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं' जैसे मरम्मत और रखरखाव (सीपीसी-871), अन्य व्यावसायिक सेवाएं (सीपीसी-8344), और सहायक सेवाएं (सीपीसी-85999)' शुरू करने के लिए इकाई की स्थापना की जाएगी। यह स्वीकृति आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्पादों की सूची की जांच के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित संशोधित फॉर्म-एफ प्रस्तुत करने के अधीन है। इसके अलावा, स्वीकृति निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- i. कंपनी 2019 के प्रेस नोट 01 के तहत निर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न नहीं है।
- ii. इकाई को रखरखाव और मरम्मत गतिविधियों के भागों का आयात करने से पहले रक्षा उत्पादन विभाग (डीओडीपी) से आयात लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

**सुरेंद्र मलिक**

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

**अ. बिपिन मेनन**

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त



